jk"Vªh; xzkeh.k mRlo ;kstuk

ग्रामीण परिदृश्य

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

jk"Vªh; xzkeh.k mUeyu ;kstuk

ग्रामीण परिदृश्य

Mk- ch- d- nokxu

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

शा. रानी अवती बार्ड लोधी महाविद्यालय, घुमका

lg&y[kd

Mk- ,y- ,l- xyiky

एसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र अध्ययन शाला,

पं. रविशंकर शुक्ल

विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग)

नमूना • SAMPLE

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

दिल्ली (भारत)

}kjk idkf'kr

AKHAND

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

Publisher, Distributor, Exporter having an Online Bookstore

एल–9ए, प्रथम तल, गली न0 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली–110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

jk"Vªh; xjhch mUeyu ;kstuk
ग्रामीण परिदृश्य

संस्करण : 2019
© लेखक
ISBN: 978-93-88998-57-4

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।

इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

Hkkjr esa idkf'kr

झपसू यादव द्वारा 'अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के लिए प्रकाशित। वी.एम. ग्राफिक, दिल्ली द्वारा कवर डिजाइन व शब्द संयोजन तथा वी.एम. ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से मुद्रित।

SAMPLE

çkDdFku

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु अनेक प्रयत्न किए गये पर उन प्रयत्नों से हमें निर्धनता की दर को कम करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 2005 में भारत सरकार के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कानून पारित कर "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रहने वाले लगभग एक तिहाई अति निर्धन जनसंख्या को रोजगार प्रदान कर निर्धनता और बेरोजगारी की दर को घटाना था। कानून बनाए जाने से यह स्थायी रूप ले लिया और पूरे देश के सभी राज्यों में रोजगार मांगने वाले श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना बाधक हो गया। नरेगा वर्ष 2009 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) हो गया।

विगत 14 वर्षों में इस योजना के जो परिणाम आये है वह निश्चय ही बरोजगारी और निर्धनता को कम करने में कारगर सिद्ध हुई है। इस योजना का दूसरा पक्ष यह भी है कि अब ग्रामीण जनसंख्या के पलायन में कमी आयी है। योजना की सफलता को देखते हुए इसमें प्रति परिवार 100 दिन के रोजगार अवधि को बढ़ाकर 150 दिन कर दिये जाने से यह और अधिक प्रभावशील सिद्ध हुई है। प्रस्तुत पुस्तक में मनरेगा का समग्र मूल्यांकन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में योजना की स्थिति, निर्धनता उन्मूलन में योगदान, महिला सशक्तिकरण में योजना की भूमिका तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण शोधपरक ढंग से किया गया है। पुस्तक की उपादेयता अध्ययन का अनुभव जन तथ्यों पर आधारित होना है।

पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर मैं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे शोध प्रबंध के पुस्तक प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान किया। इस अवसर पर मेरे शोध निर्देशक प्रो. पी. के. शर्मा सेवानिवृत्त प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययन शोध अन्य प्राध्यापकगणों के सहयोग व सुझाव के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही समाजशास्त्र के वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉ. एल. एस. गजपाल के विशेष योगदान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी धर्मपत्नी

SAMPLE

श्रीमती सरस्वती देवांगन, पुत्र श्री धवल कुमार देवांगन, पुत्र वधु श्रीमती ज्योतिका देवांगन, पुत्री श्रीमती विद्या रानी देवांगन, दामाद डॉ. अमित मेहर, पौत्र श्री अनंत देवांगन, पौत्री कु. अनंता मेहर के स्नेह सहयोग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पुस्तक प्रकाशन में सहयोग हेतु अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली के प्रति भी अभार व्यक्त करता हूँ।

आभार सहित !

¼M,- ch- d- nokxu½
सहायक प्राध्यापक–समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

नमूना • SAMPLE

vuØef.kdk

	प्राक्कथन	*v*
1.	प्रस्तावना	1
2.	गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	17
3.	उत्तरदाताओं की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	33
4.	अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की स्थिति	55
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन	106
6.	निष्कर्ष	174

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

1

प्रस्तावना

भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। गांवों का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है, और सभी ग्रामीणजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है, सामान्यतः कृषि मानसून पर आश्रित रहा है। समय में अच्छी वर्षा होने पर ही फसल सही हो पाती है, अल्प वर्षा या समय पर वर्षा नहीं होने से अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। यहां के अधिकांश कृषक एक ही फसल ले पाते है जिससे कृषि पर आश्रित परिवारों में गरीबी बढ़ती जा रही है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 21.92 प्रतिशत है, कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य उद्योग नहीं होने के कारण यहाँ के कृषक मजदूर बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के लिए सरकार अनेक महत्वकांक्षी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना भी एक है। इस योजना से गांवों को नई सुविधांए उपलब्ध होगी इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीब महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिनों के रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है।

बेरोजगार होने के कारण रोजगार की तलाश में गरीब ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं एवं रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे मुख्य रूप से मजदूरी का ही कार्य करते हैं, यहां भी दलालों के मार्फत ही जाते है, और दलाल इनका सभी प्रकार से शोषण करते हैं इस प्रकार गरीब ग्रामीणों का जीवन अत्यन्त निम्न स्तर का होता है, शहर व गांव से जुड़े होने के कारण न तो पूर्ण रूप से ग्रामीण और न ही पूर्ण रूप से शहरी संस्कृति को अपना पाते हैं। सरकार ग्रामीणों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, इनमें वर्तमान में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत पूरे देश में एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के एक वयस्क

SAMPLE

सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और वर्तमान में इसकी मजदूरी 159 रू. निर्धारित की गई है, जो उनके गांव या गांव के 5 कि.मी. के दायरे में कार्य उपलब्ध होगा। इस प्रकार गरीब ग्रामीणों अर्थात् गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) के माध्यम से रोजगार मुहैया करा रही है। सत्र 2015–16 में 31000 करोड़ रू. रोजगार गारंटी योजना के लिए आबंटन का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है व ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने की अभिनव योजना चलायी जा रही है, जिससे की ग्रामीणों का एवं गांव का विकास हो सके।[1]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 को पूरे 200 जिलों में लागू की गई। देश के करोड़ों बेरोजगारों के लिए यह योजना आशा की किरण है। इस योजना के अंतर्गत ही बेरोजगारों के प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य वयस्क जो कार्य के योग्य हो 100 दिन का रोजगार दिये जाने की गारंटी है। इस योजना का मुख्य तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, क्योंकि भारत की तीन चौथाई जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, उन लोगों की गरीबी दूर करने तथा उनकी बेरोजगारी व पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सरकार ने एक नई योजना को आरंभ किया जिसे रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना सरकार ने गरीबों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने व उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए लागू किया गया है जिसके कारण ग्रामीण जनता को भी रोजगार प्राप्त हो सके और वह आत्म सम्मान व आत्म निर्भरता के साथ अपना जीवनयापन कर सके।[2]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के लोकसभा में 23 अगस्त 2005 को ध्वनिमत से पारित हुआ। देश में प्रथम चरण में 200 जिलों में 02 फरवरी 2006 को यह अधिनियम लागू हो गया और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भी यह अधिनियम लागू हुआ। वर्ष 2007–08 में दूसरे चरण में इसे 130 और जिलों में कार्यान्वित किया गया। आरंभिक लक्ष्य के अनुसार नरेगा को 5 वर्षों में देशभर में लागू किया जाना था। तथापि, संपूर्ण देश को इसके सुरक्षा दायरे में लाने के उद्देश्य से तथा मांग को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 से भारत के शेष 285 जिलों में लागू किया गया।[3]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना का महत्व यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है। इस रोजगार से वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके बच्चों का उचित पालन पोषण किया जा सके तथा पलायन की स्थिति न निर्मित हो पाये। अपने क्षेत्र व पाँच किलोमीटर के दायरे में वे जो भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्य हो रहे हैं वे उन कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं तथा उन्हें एक जॉब कार्ड दिया जायेगा जिससे उनकी उपस्थिति दर्ज होती रहेगी। अगर किसी कारणवश कार्य

उपलब्ध नहीं है तो सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है जिससे ग्रामीण समाज के जीवन स्तर में सुधार की संभावना बनी रहेगी।

शोध विषय का समाजशास्त्रीय महत्व

ग्रामीण विकास के अधारभूत ढ़ाँचे को सुदृढ़ करने, ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात दिलाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना है। जिसे 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया। पहले चरण में 200 जिलों में यह योजना लागू की गई। 2007–08 में 130 जिलों में विस्तार किया गया और 1 अप्रैल 2008 को अततः भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इसे जनता का कानून कहा जा सकता है। यह कानून रोजगार के अधिकार को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मूल्यांकन (राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) विषय पर आधारित है। इस अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की दशा एवं दिशा को ज्ञात करना है, एवं उक्त योजना का ग्रामीण विकास में कितना योगदान रहा है। अर्थात ग्रामीणों की समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में कितनी भूमिका है को ज्ञात करना है।

इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों एवं सुझावों के आधार पर शासन को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों के लिए नीति के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी, साथ ही यह अध्ययन राज्य के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा।

यह शोध प्रबंध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के परिचय से लेकर इसे लाभांवित लोगों के संदर्भ में बताने का प्रयास करता है, साथ ही साथ उक्त योजना के माध्यम से ग्रामीणों के लिए दिये गये प्रावधानों की विकास यात्रा एवं उन प्रयासों को परिलक्षित करता है जो ग्रामीण बेरोजगारों के लिए किये गए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए जो धन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आता है, उसका कितना उपयोग हो रहा है इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन एवं इसमें आने वाली बाधाओं को ज्ञात कर उसके समाधान हेतु सुझाव प्राप्त होंगे, साथ ही ग्रामीणों के पलायन को रोकने में इसकी सार्थकता कितनी है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त होगा।

प्रस्तुत अध्ययन के सुझाव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को सुधार करने में मदद करेगा। ग्रामीणों में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान में कितना कारगर है एवं ग्रामीणों के आर्थिक ढ़ाचे की मजबूती हेतु रोजगार सृजन करने में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के महत्व को ज्ञात करना है।

SAMPLE

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत 2005 से हुई। यह योजना ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। भारत में गरीबी उन्मूलन से संबंधित किए गये स्त्रोत अध्ययनों की समीक्षा निम्नानुसार है।

दाड़ेकर के.एच (1983)[4] ने अपने अध्ययन में यह बतलाया है कि देश में लागू विभिन्न योजनाओं में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में त्रुटि कम है। इस योजना में गरीबों के उचित सत्यापन न हो पाने के समस्या रही है। फिर भी यह रोजगार गारंटी योजना की तुलना में उत्तम है।

सिंह और लाल (1987:25)[5] ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में यह पाया कि हितग्राही परिवारों के 48 प्रतिशत ने निर्धनता रेखा पार कर ली थी। किंतु इन हितग्राहियों के अनुसार जो अतिरिक्त आय उपार्जित की गई उससे उनके जीवन की स्थिति में अपेक्षित सीमा तक सुधार नहीं हुआ। इसका कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार मूल्य का इतना बढ़ जाना कि उनके द्वारा उपार्जित अतिरिक्त आय का प्रभाव नगण्य हो गया, फिर भी लगभग सभी हितग्राहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी वार्षिक आय बढ़ा ली है, और अब वे थोड़ी बहुत बेहतर हालत में रह रहे है, उस हालत से जबकि वे आई.आर.डी. कार्यक्रम के अंतर्गत ऋणी थे।

सिंह (1988:8)[6] ने ''सोशियो इकानामिक इम्पेक्ट आफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आन वीकर सेक्शन्स इन पंजाब'' के अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि समन्वित, ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपने द्वारा सेवित कमजोर वर्गो पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, जो व्यक्ति इन सुविधाओं का लाभ उठा (विशेषकर साख) सके वे अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने मे बेहतर स्थिति में रहे, उनकी अपेक्षा जिन्होनें इन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया, अध्ययन में यह भी पाया गया है, कि समुदाय के तुलनात्मक दृष्टि से सम्पन्न वर्गो ने इन सुविधाओं का लाभ, कमजोर वर्गो की तुलना में अधिक उठाया, जो कि योजना की असफलताओ को भी दर्शाता है।

सिंह (1988)[7] ने भारतीय स्टेट बैंक के कृषि बैंकिग विभाग के लिए आयोजित अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि 1. परियोजनाओं की सफलता के लिए ढाँचागत सुविधाओं जैसे सड़कें, बाजारों, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों की कमी है। 2. हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन पूरी तरह से नही मिल रहा है, ताकि वे अपनी सम्पत्तियों का उपयोग आर्थिक रूप से कर सकें। 3. बैंक अधिकारियों और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों में समन्वय की कमी है। 4. पशुओं के बीमा के दावों का निराकरण शीघ्रता से नहीं किया जाता है। 5. योजनाओं के लिए कम राशियों का वित्तीय करण करने से निर्धन वापस चले जाते है, और परियोजना जीने योग्य नहीं रह जाती है।

देसाई ने अपनी पुस्तक –''रूरल डेवलपमेंट (1988 अंक–द्वितीय)[8] में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए अध्ययन के परिणाम पर आधारित पन्द्रह

राज्यों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्य का परीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने यह पाया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों ने कार्यक्रम के सहभागियों को उचित गुणवत्ता की सम्पत्ति की आपूर्ति करनें में कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं निभाया है। अध्ययन हेतु कुल 868 हितग्रहियों का चुनाव किया गया था, जिनकी वार्षिक आय 3500 रू थी। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ लेने के पश्चात 49.4 प्रतिशत हितग्राहियों की वार्षिक आय 3500 रू. से बढ़ गई।

महानसुन्दम् (1988:9)[9] ने तामिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के दो विकास खंडों का मूल्यांकन अध्ययन'' हाऊ आई.आर. डी.पी. स्कीम्स केन बी बेटर इम्प्लीमेंट'' शीर्षक से किया। उनका कथन है कि ग्रामीण निर्धनों की अत्यंत कम समझ यह संकेत देती है कि उनके बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, उन विशेष परियोजनाओ के बारे में जो उनके कल्याण के लिए बनाई गई है। कार्यान्वयन तंत्र का भी टालमटोल का रूख बदला जाना चाहिए। यथायोग्य हितग्राहियों का चयन भी परिवारों के सर्वेक्षण के बाद ही करना चाहिए। साख शिविरों और ग्राम सभाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सही हितग्राही का ही चयन हो। ऐसे प्रयत्नों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मध्यस्थों का दबाव दूर होगा और टपक जाने की छूट से भी छुटकारा मिलेगा। यह सब क्रियाशील और प्रभावशील समन्वय विभिन्न ग्राम स्तरीय विभागीय कार्यकर्ताओं के मध्य होने से किया जा सकता है। ग्रामीण स्तरीय कार्मिक और ग्रामीण कार्य अधिकारियों की शैक्षणिक अर्हता में सुधार लाने के लिए उन्हे प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उनका कार्य और अधिक अच्छा होगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ग्राम स्तरीय कार्मिको की परवाह की जाए उनका प्रशिक्षण, अधीक्षण और उनके कार्य में हस्तक्षेप आदि रोका जाए ये कुछ ऐसे कदम है जिन पर विचार इसलिए किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रमों परियोजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

कुलकर्णी आदि (1989)[10] ने कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में एक अध्ययन किया। उन्होनें पाया कि विभिन्न समेकित ग्रामीण कार्यक्रम की परियोजनाओं की सफलता या असफलता को विभिन्न सामाजिक आर्थिक तत्व प्रभावित करते है। उनके अनुसार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः शिक्षा, परिवार का आकार, पशुओं का स्वामित्व, दीर्घ कालिक सम्पत्ति और व्यावसायिक ढांचे पर निर्भर करती है। अतः योजना का लाभ देते समय हितग्राही की समाजिक, आर्थिक स्थिति एवं विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाये। यह अध्ययन इस बात को प्रमुखता देता है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की अल्प सफलता और क्रियान्वयन का कारण वास्तव में ऋणों की स्वीकृति और अनुदान राशियों के आबंटन में विकास अधिकारियों द्वारा विलंब किया जाना है। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है, कि अनुदान और ऋण के लिए एकल खिड़की व्यवस्था से समय में कमी आएगी और हितग्राहियों को ऋण लेने की लागत में भी कमी आएगी।

विश्व बैंक (1989:5)[11] ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को विश्व की सबसे बड़ी साख पर आधारित निर्धनता उन्मूलन प्रयास माना है। भारत में इस कार्यक्रम की असफलता

का मुख्य कारण यह रहा है कि साख व्यवस्था सतत रूप से ग्रामीण परिवारों तक नहीं पहुँच पाया है।

साठे एम. डी. (1991)[12] ने अपने अध्ययन (ग्रामीण रोजगार और रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र समूह) में स्पष्ट किया है, कि रोजगार गारंटी योजना ने सामान्य कृषि कार्यो से परेशान या बड़े किसानो का गुस्सा अर्जन किये बिना कार्य को लागू करने के लिए संभव बना दिया है।

हिरवाय इंदिरा और पी. ट्रेहल (1994)[13] ने अपने अध्ययन भारत की ओर रोजगार गारंटी के संदर्भ में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों (चीन, नीदरलैंड, बांगलादेश) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों की तुलना में भारत के (महाराष्ट्र, पश्चित बंगाल, कर्नाटक तथा गुजरात) राज्यों के अनुभवों से तुलना करते हुए यह बताया है कि भारत के रोजगार गारंटी योजना का प्रदर्शन बेहतर है। इसे व्यापक पैमाने पर लंबी अवधि के लिए लागू किए जाने की आवश्यकता है।

गेन्ट ई. (1998)[14] ने महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक संदर्भ में रोजगार गारंटी कार्यक्रम वास्तव में गरीबों के काम के मूल्यांकन से परे है। फिर भी इसका क्रियान्वयन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि ये गरीबी का उन्मूलन करती है, और समाजिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

मनोज (1998)[15] ने अपने अध्ययन में ग्रामीण विकास की अवधारणा एवं विकास नीतियों के तुलनात्मक अध्ययन में बताया कि सभी योजनाएँ गरीबी पर प्रहार करने तथा ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बनाई गयी है, लेकिन इसका स्वरूप अलग–अलग है। विभिन्न योजनाओं की प्राविधि भिन्न होने के कारण कार्यान्वयन तथा अंतिम परिणाम भिन्न होने की अनेक संभावनाएँ उभरी तथा देखी भी गयी ।

अमरेन्द्र (1998)[16] Proverty Rural Development and public policy प्रस्तुत ग्रंथ के अंतर्निहीत अध्ययन के अनुसार जो कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM) जवाहर रोजगार योजना (JRY) आदि इन योजनाओं का मूल्यांकन करते हुए गरीबी का उद्‌गम और उससे संबंधित कारणों को स्पष्ट किये है।

मारक्येज जी (1999)[17] में अपने अध्ययन में (बेरोजगारी बीमा आपात कालीन रोजगार कार्यक्रम एक सिहावलोकन) से स्पष्ट किया है कि संगठनात्मक बाधाओ जैसा कि रोजगार गारंटी योजना स्थानीय सरकार के अधिकारियो और इनके समुदायो का कार्यक्रम को जो इस बेसिक आर्थिक आवश्यकताओ के साथ परिचित है, निकट गैर सरकारी संगठनो के सहयोग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। डिजाइन वित्त और आयुक्त संगठन में परियोजनाओ के क्रियान्वयन कि प्रक्रिया की व्यवस्था का काम मुश्किल है। रोजगार गारंटी योजना के प्रारंभ में विशेष रूप से श्रम प्रधान लोक निर्माण कार्य स्थानीय स्तर पर इस कार्य

का चयन करने के लिए तकनीकी और परिचालन क्षमता के साथ किया जाना है। जरूरतमंद गरीबो को संसाधनो कि उत्पादन प्रक्रिया को संगठित करने के लिए संस्थाओ को एक व्यापक और ठोस नेटवर्क चैनल की आवश्यकता है।

बेदी (2000)[18] ने अपने अध्ययन में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्य (ट्राइसेम) के द्वारा स्वरोजगार की दिशा में उभरते आयाम में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो प्रशिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण युवा स्वरोजगार के लिए नई दिशा चुन सके ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए और उसे रोजगार बनाने के लिए (ट्राईसेम) योजना कहा तक सफल हो पायी, कितनी सफल हो सके है इसका अध्ययन किया गया।

चौहान, सुरेन्द्र चंद (2002)[19] धार जिले में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अनुसूचित जातियों के विकास पर प्रभाव संबंधी अध्ययन में स्पष्ट किया है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कारण सामाजिक स्तर पर कोई कार्य जैसे विवाह, बिमारी के ईलाज को पूरा करने एवं मृत्यु भोज जैसे कार्यों को पूरा करनें में आर्थिक मदद मिलती है तथा आवासीय समस्याओं के लिए भी मदद प्रदान की जाती है।

सिसौदिया, लाखनसिंह (2003)[20] ने अपने अध्ययन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना द्वारा रोजगार सृजन का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव इस अध्ययन में योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने से ग्रामीण जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, का अध्ययन किया है।

घोष (2004:15) [21] ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत हितग्राहियों के परिवारों के लिए विनियोजन कहीं अधिक कम था, विशेषकर इस तथ्य की नजर से कि अब निर्धनता का मापदण्ड वार्षिक आय रू 22000 पर पुर्ननिर्धारित की गई है, यह पूर्व में मात्र 1,600/– थी। परिणामस्वरूप परिवारों की बड़ी संख्या, जिन्होनें ऋण और अनुदान लिए थे, ताकि इन सहायताओं से प्राप्त सम्पत्तियों के दोहन से अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलने वास्तव में गरीबी रेखा भी पार नहीं की।

शाह (2007)[22] का अध्ययन उड़ीसा राज्य के 100 ग्रामों पर आधारित था, यह अध्ययन सेंटर फॉर इन्वायरमेन्ट एंड फूड सिक्योरिटी संस्थान नई दिल्ली द्वारा कराया गया था। अध्ययन से ज्ञात तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि उड़ीसा में किस प्रकार मनरेगा कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और लूट चल रहा है। अध्ययनगत 6 जिलों बलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहंडी, कोरापुट, नबरंगपुर तथा रायगढ़ा में योजना की स्थिति चिंताजनक है, लोगों के मन में इस योजना के क्रियान्वयन के प्रति बेहद आक्रोश है योजना के नियमों के ताक में रखकर जॉबकार्ड ग्राम स्तरीय कर्मचारी के घर पाया गया, किये गये भुगतान की प्रविष्टि जॉबकार्ड में नही होना पाया गया, भुगतान में भी 4 से 6 माह विलंब किया जाता है। स्पष्ट है कि जिन उदद्श्यों को लेकर यह योजना प्रारंभ की गई वह भ्रष्ट नौकरशाही का शिकार हो

SAMPLE

गया।

डेज तथा लाल (2007)[23] ने राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में यह निष्कर्ष निकाला कि राजस्थान सबसे पहला ऐसा राज्य है जहां प्रति ग्रामीण परिवार के लिए नियोजन सृजन का काम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के अधीन किया गया। 2006–2007 वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के अंतर्गत छः जिलों में औसत–ग्रामीण परिवारों ने अधिकतम 77 दिनों तक काम करते हुए योजना का लाभ लिया। यह भारत में सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी परियोजना में नियोजन पाने वालों में महिलाओं की भागीदारी दो तिहाई के लगभग है जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय परिवारों की भागीदारी 80 प्रतिशत की उच्च संख्या पर है, इसी तरह और अन्य प्रकार से भी यह अधिनियम सामाजिक समानता और आर्थिक पुर्नवितरण में सहयोगी है।

बाकनी में तीन मस्टर रोलों का रेंडम चेकिंग किया गया जो विकासखंड कार्यालय में उपलब्ध थे और उनको सत्यापित किया गया तथा संबधित श्रामिकों में से लगभग 20 श्रमिकों से साक्षात्कार लिया जिन्होनें वास्तव में कार्यस्थल पर काम किया था। प्रत्येक प्रकरण मे, मस्टर रोल में प्रविष्ट विवरण जॉब–कार्डो के विवरणों से पूरी तरह सही पाया गया। यह श्रमिको ने भी पुष्टि की कि जॉबकार्ड में दिया गया इनफरमेशन सही है।

मिश्रा, (2007)[24] ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परियोजना का उत्तर प्रदेश मे दुरूपयोग हो रहा है, और यह सब केवल मात्र इसलिये हो रहा है क्योकि ग्राम प्रमुखों के बीच गठबंधन शासकीय अधिकारियो और राजनीतिज्ञों से है। जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के पास जॉबकार्ड नही है, और उनमें से किसी को भी 100 दिनों का काम नहीं मिला है। जॉबकार्ड ग्राम अधिकारियों के पास है।

राव के हनुमंत, आलम, वी सुरेश बाबू (2008)[25] ने प्रमुख राज्यों में मनरेगा का कार्य निष्पादन, संस्थाओं की भूमिका, व्यापक प्राकृतिक संसाधन, प्रबंधन योजना, पारदर्शिता, सामाजिक लेखा परीक्षा, भ्रष्टाचार मिथक या सच्चाई आदि तथ्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है।

सिंह रघुवंश प्रसाद (2008)[26] ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के महत्व को बताते हुए कानून की विशेषताएँ, समावेशी विकास में योजना की भागीदारी तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बताया है। ललित माथुर ने योजना की पारदर्शिता प्रक्रिया, ग्रामीण ईलाकों में गरीबी के लिए पूंजी निर्माण, अधिकारिकता, सामाजिक लेखा परीक्षण की अनिवार्यता, योजना के तालमेल तथा उपकरणों को सुदृढ़ करने के विषय पर चर्चा की है।

राव के हनुमंत (2008)[27] ने प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संबंधित अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रमिकों को दिये गये 100 दिन के काम, महिलाओं की भागीदारी, रोजगार गारंटी अधिनियम का निष्पादन, संस्थाओं की भूमिका,